न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 26/2021 **FSSA**

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री घासी लाल गोयल
   एफबीओ मैसर्सः— मनोज मिष्ठान भण्डार, मैन मार्केट मेहन्दीपुर बालाजी तहसील सिकराय जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त बहस के दौरान अनुपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—: आदेश :— दिनांकः— 08.06.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 21.08.2021 को दोपहर 01:30 बजे मैसर्सः— मनोज मिष्ठान भण्डार, मैन मार्केट मेहन्दीपुर बालाजी तहसील सिकराय जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री घासी लाल गोयल उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान के काउन्टर में एक स्टील की ट्रे में करीबन 5 किग्रा बेसन के लड्डू (रिफाईण्ड सोयाबीन तेल व खाद्य रंग से बने) आम जनता को बेचने हेतु रखे हुये थे। इनमें मिलावट का शक होने पर इनमें से नमूने की जॉच हेतु 2 किग्रा बेसन के लड्डू (रिफाईण्ड सोयाबीन तेल व खाद्य रंग से बने) खरीदे। जिसे विक्रेता ने साफ सूखे एवं खाली कागज के डिब्बे में तौलकर दिये। जिसकी कीमत 160 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 2 किग्रा बेसन के लड्डू (रिफाईण्ड सोयाबीन तेल व खाद्य रंग से बने) को चार साफ सूखी एवं खाली कांच की बोतलों में बराबर—बराबर डालकर प्रत्येक में 40—40 बूंद फार्मलीन की डालकर बोतल को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर बोतलो को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेट कर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–2685 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. **5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर** कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर **प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद** बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री **महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 24.08.2021 को खाद्य विश्लेषक राज. अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर** में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 24.08.2021 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने **की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर** कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 24.08.2021 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू (रिफाईण्ड सोयाबीन तेल व खाद्य रंग से बने) के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./534/एक्ट/2021/711 दिनांक 7.9.2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त बहस के दौरान उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थी द्वारा पूर्व में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./534/एक्ट/2021/711 दिनांक 7.9.2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू (रिफाईण्ड सोयाबीन तेल व खाद्य रंग से बने) के नमूने मे **B.R. Reading** मात्र 57.3 ही पाई गई है, जो कि 58.5 से 68.0 के बीच होनी चाहिये थी। इसके अतिरिक्त आयोडीन वैल्यू मात्र 101.86 पाई गई है। जो कि 120.0 से 141.0 के बीच होनी चाहिये। उक्त खाद्य पदार्थ **बेसन के लड्डू (रिफाईण्ड सोयाबीन तेल व खाद्य रंग से बने)** के नमूने में **B.R. Reading** व आयोडीन वैल्यू की मात्रा तय मानको से कम पाये जाने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण ने एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(**II**) का उल्लंघन किया है एवं सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू (रिफाईण्ड सोयाबीन तेल व खाद्य रंग से बने) **का विक्रय कर आमजन के जीवन के साथ खिलवाड किया है। अतः अधिनियम की धारा 51** एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानों के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के **दण्ड से दण्डित करने का श्रम करे।**

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार उक्त प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू का नमूना अमानक स्तर का पाया गया है। इसके सन्दर्भ में जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि लड्डू बनाने में अलग–अलग कम्पनियों के रिफाइन्ड तेल का उपयोग किया जाता है। जिसके कारण ही **B.R. Reading** कम पाई गई है। हमारे द्वारा बेसन के लड्डू में कोई मिलावट नहीं की जाती है। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाने का निवेदन किया गया है।

प्र0 सं0 : 26 / 2021 **FSSA**

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस एवं अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./534/एक्ट/2021/711 दिनांक 7.9.2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू (रिफाईण्ड सोयाबीन तेल व खाद्य रंग से बने) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने उक्त सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू (रिफाईण्ड सोयाबीन तेल व खाद्य रंग से बने) का आमजन को विक्रय कर आमजन के जीवन के साथ खिलवाड किया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय किये जाने पर जुर्माना निर्धारित किया हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू (रिफाईण्ड सोयाबीन तेल व खाद्य रंग से बने) का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (**II**) का उल्लंघन होने से **अपराध कारित होने से** अप्रार्थी अभियुक्त श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री घासी लाल गोयल एफबीओ मैसर्सः– मनोज मिष्ठान भण्डार, मैन मार्केट मेहन्दीपुर बालाजी तहसील सिकराय जिला दौसा पर 20000/–(अक्षरे **बीस हजार रूपये**) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 08.06.2022 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 08.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/FSSA/ दिनांकः–08.06.2022

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री घासी लाल गोयल एफबीओ मैसर्सः– मनोज मिष्ठान भण्डार, मैन मार्केट मेहन्दीपुर बालाजी तहसील सिकराय जिला दौसा।

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा